

भाइयों को फंसाने के लिए पिता ने बुझा दिया अपने घर का चिराग

13 वर्षीय बेटे की गला दबाकर हत्या कर तालाब में फेंका शव

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा : जमीन के लालच में बुधवार रात भाइयों को फंसाने के लिए पिता ने 13 वर्षीय बेटे सुधांशु की गला दबाकर हत्या कर दी। बेटे के लापता होने की कहानी गढ़ते हुए स्वजन के साथ तलाश करने का नाटक किया। सीसीटीवी में उसकी करतूत सामने आई तो उसने आत्महत्या का प्रयास किया।

प्रदीप भाटी का 13 वर्षीय बेटा सुधांशु कक्षा आठ का छात्र था। बुधवार रात वह नौ बजे घर से निकला और गायब हो गया। चाचा मोहित ने गुमशुदगी दर्ज कराई। प्रदीप स्वजन के साथ बेटे की तलाश करता रहा। गुरुवार शाम करीब सात बजे गांव के बाहर तालाब में सुधांशु का शव मिला। प्रदीप ने भाइयों पर ही सुधांशु का अपहरण कर हत्या का आरोप लगाया।

पुलिस ने घर के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। **फुटेज में रात नौ बजे बाहर खड़ी कार में पहले सुधांशु और कुछ देर बाद प्रदीप बैठते दिखा। दो घंटे बाद कार लेकर प्रदीप लौटा तो सुधांशु साथ नहीं था। ग्रामीणों और पुलिसकर्मियों ने उसे दबोचा तो ब्लेड से गले पर बार कर आत्महत्या की कोशिश की।**

ग्रामीणों ने बताया कि चारों भाइयों की गांव के बाहर दो बीघा जमीन है। उसी में दुकान की जमीन को लेकर प्रदीप का भाइयों से विवाद चल रहा है। प्रभारी निरीक्षक धर्मेष्ट शुक्ला ने बताया कि प्रदीप को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

बेटे की हत्या कर भाइयों को दी थी फंसाने की धमकी : हत्यारोपित प्रदीप चार भाइयों में दूसरे



सुधांशु की हत्या का आरोपित पिता प्रदीप कुमार ब्लेड से गले पर बार करके आत्महत्या का प्रयास करने के दौरान पकड़ते ग्रामीण।

नंबर का है। सबसे बड़े संदीप भाटी हैं, तीसरे नंबर पर मोहित व सबसे छोटा रोहित है। एक माह पहले संदीप ने दुकान का निर्माण कराने के लिए पिलर खड़े कराने शुरू किए थे, तब दुकान के लालच में प्रदीप ने विवाद कर दिया। दोनों छोटे भाइयों ने भी संदीप का पक्ष लेते हुए प्रदीप से मारपीट की थी। तब ही प्रदीप ने भाइयों को धमकी दी थी कि बेटे की हत्या कर उन्हें फंसा देगा। उसने तीनों के खिलाफ मारपीट का केस दर्ज कराया था। दुकान की जमीन पर निर्माण कार्य रुकवाने कोर्ट से स्टे आर्डर तक ले आया था। परिवार में पत्नी सोनी व बड़ी बेटी निधिका हैं। बेटा सुधांशु सबसे छोटा था।



सुधांशु



ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण
प्लॉट सं. 01, नालेज पार्क-IV, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश-201308
वेबसाइट: www.greaternoidaauthority.in ई-मेल: authority@gnida.in

पत्रांक: सम्पत्ति / किसान-आबादी / 2026 / 2967

दिनांक: 08 / 05 / 2026

सार्वजनिक सूचना

ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण की 128वीं बोर्ड बैठक दिनांक 28.12.2022 के मद सं. 39 के अन्तर्गत निर्धारित नीति के क्रम में नियोजन उपरान्त नियोजन विभाग से प्राप्त सूची में उल्लिखित **ग्राम – विसरख जलालपुर** के किसान आबादी के समान आकार के नव-नियोजित भूखण्डों का निम्न सूची के अनुसार सम्बन्धित कुशकों के मध्य झा के माध्यम से दिनांक **12.05.2026** को प्रातः 11:30 बजे ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के बोर्ड रूम / समागार में झा / आवंटन की कार्यवाही किया जाना नियत है:-

क्र. सं.	कृषक का नाम	भूखण्ड का आकार (वर्ग मी. में)	नियोजित भूखण्ड संख्याएं, जो झा के माध्यम से आवंटित की जानी हैं
1.	श्री शीशराज पुत्र काले	50	A-1, A-2, A-3, A-4
2.	श्री जगपाल पुत्र काले	50	
3.	श्री प्रकाश पुत्र हरकिशन	50	
4.	श्री हंसराज पुत्र हरकिशन	50	
5.	श्री कुड़िया पुत्र लच्छू	160	A-10, A-11, A-12, A-13
6.	श्री राजवीर पुत्र लच्छू सिंह	160	
7.	श्री किरन पुत्र लच्छू सिंह	160	
8.	श्री ब्रम्ह सिंह पुत्र लच्छू सिंह	160	

अतः सूची में उल्लिखित कृषक ससमय से अपनी पहचान के रूप में आधार कार्ड व नक्शा-11 के साथ झा की कार्यवाही में प्रतिभाग करना सुनिश्चित करें।

विशेष कार्याधिकारी (किसान आबादी)

Follow Us On  / OfficialGNIDA

थैलेसीमिया मेजर प्रभावित बच्चों का जन्म रोकने को अनिवार्य होगी गर्भवती की जांच

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी में थैलेसीमिया मेजर से प्रभावित बच्चों के जन्म रोकने के लिए गर्भवती महिलाओं की अनिवार्य थैलेसीमिया जांच होगी और विधानसभा में विधेयक लाकर इस पर कानून बनाया जाएगा। यह बात विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कही। वह शुक्रवार को विधानसभा परिसर में आयोजित नेशनल थैलेसीमिया वेलफेयर सोसायटी (एनटीडब्ल्यूएस) के सहयोग से जागरूकता कार्यक्रम में भाग ले रहे थे। विशेषज्ञों ने कहा कि गर्भधारण से पहले या गर्भावस्था के शुरुआती चरण में वाहक जांच और प्रसवपूर्व परीक्षण के माध्यम से थैलेसीमिया मेजर से प्रभावित बच्चों के जन्म को रोका जा सकता है। कार्यक्रम में सोसायटी के महासचिव डा. जेएस अरोड़ा, पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हंसराज गंगाराम अहीर, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण की वरिष्ठ विशेषज्ञ विनीता श्रीवास्तव, दिल्ली विधानसभा के सचिव रंजीत सिंह, एम्स हेमेटोलॉजी विभागाध्यक्ष डा. मनोरंजन महापात्र भी उपस्थित थे।



रेलवे सूचना प्रणाली केन्द्र
निविदा संख्या 01265043वीं
निविदा शीर्षक: क्रिस चायकरपुरी, नई दिल्ली में स्थापित IP PBX प्रणाली के 03 वर्षीय वार्षिक रखरखाव एवं तकनीकी सहायता हेतु निविदा। समापन की तिथि: 02.06.2026 (मंगलवार) को 15:30 बजे से। दस्तावेज IREPS की वेबसाइट www.ireps.gov.in से डाउनलोड किए जा सकते हैं। आगे संश्लेषण/ विस्तार के लिए www.ireps.gov.in देखें।



राष्ट्रीय विज्ञान केन्द्र
(राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद की इकाई)
संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार
प्रगति मैदान, निकट गेट नं.-4, भरो रोड नई दिल्ली - 110001



विज्ञापन संख्या :06/2026
वॉक-इन-टेस्ट
योग्य उम्मीदवारों को राष्ट्रीय विज्ञान केन्द्र, दिल्ली में निम्नलिखित प्रशिक्षु शिल्प (फिटर (02), बर्द्ध (02)) की नियुक्ति हेतु वॉक-इन-टेस्ट के लिए आमंत्रित किया जाता है। प्रशिक्षुता की अवधि प्रारंभिक एक वर्ष के लिए होगी, (जिसे आगामी एक और वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, यह प्रशिक्षुता उम्मीदवार के पहले वर्ष के दौरान संतोषजनक प्रदर्शन और केंद्र के विवेक पर निर्भर करेगी)।
वॉक-इन-टेस्ट दिनांक **16-05-2026 को सुबह 09:30 बजे** से उपरोक्त टेस्ट के लिए राष्ट्रीय विज्ञान केन्द्र, दिल्ली में आयोजित किया जाएगा, आवेदन पत्र एवं उक्त पदों की अधिक जानकारी के लिए कृपया केन्द्र की वेबसाइट <http://nscd.gov.in/career> का अवलोकन करें।



भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
राष्ट्रीय सहबद्ध एवं स्वास्थ्य देख-रेख वृत्ति आयोग (एनसीएएचपी)
सार्वजनिक नोटिस
“रजिस्ट्रीकृत सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्तिक (वृत्तिक आचरण एवं नैतिकता) विनियम, 2026” का मसौदा, ‘राष्ट्रीय सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्ति आयोग (NCAHP)’ की वेबसाइट के माध्यम से सार्वजनिक डोमेन में रखा गया है। यह कदम ‘राष्ट्रीय सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्ति आयोग अधिनियम, 2021’ के प्रावधानों के तहत उठाया गया है, और इसके माध्यम से आम जनता, विशेषज्ञों, हितधारकों तथा विभिन्न संगठनों आदि से टिप्पणियाँ आमंत्रित की गई हैं।
2. उपर्युक्त मसौदा विनियमों पर, यदि कोई आपति, सुझाव/टिप्पणी हो, तो उसे दिनांक 28.05.2026 तक, ncahp.regulations@ncahp.mohfw.gov.in पर ईमेल द्वारा भेजा जा सकता है।
CBC 17101/11/0005/2627 सचिव, एनसीएएचपी



भारतीय खेल प्राधिकरण
भारत सरकार
खेल विभाग
(युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय)
(मानव संसाधन प्रभाग - II)
जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम कॉम्प्लेक्स (पूर्व गेट-10), लोधी रोड, नई दिल्ली-110003
F.No. 01-04001(03)/1/2026/262 दिनांक : 30.04.2026

संशोधन सूचना
भारतीय खेल प्राधिकरण में प्रतिनियुक्ति के आधार पर सहायक निदेशक के पद पर नियुक्ति के संबंध में आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि में 15 दिनों का विस्तार
भारतीय खेल प्राधिकरण (SAI), जो युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संगठन है तथा सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत पंजीकृत है, द्वारा सहायक निदेशक के पद पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति हेतु पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। सम संख्या के विज्ञापन दिनांक 23.03.2026 के क्रम में, उक्त पद हेतु आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि को 15 दिनों के लिए बढ़ाया जाता है, अर्थात् अब आवेदन दिनांक 15.05.2026 को सायं 05:00 बजे तक स्वीकार किए जाएंगे। विज्ञापन की अन्य सभी शर्तें एवं प्राधान्य यथावत रहेंगे।
सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन दिनांक 15.05.2026 तक या उससे पूर्व “निदेशक (HRD-II) का कार्यालय, कक्ष संख्या 210, द्वितीय तल, भारतीय खेल प्राधिकरण, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम (गेट-10), लोधी रोड, नई दिल्ली-110003” में प्राप्त हो जाने चाहिए अथवा ई-मेल “recruitment.cell.sai@gov.in” पर प्रेषित किए जा सकते हैं। विस्तृत विवरण एवं आवेदन प्रपत्र युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय की वेबसाइट www.yas.nic.in तथा भारतीय खेल प्राधिकरण की वेबसाइट www.sportsauthorityofindia.nic.in पर उपलब्ध है।
उप निदेशक (मानव संसाधन प्रभाग-II)
भारतीय खेल प्राधिकरण मुख्यालय
CBC 47103/11/0011/2627



सुनिश्चित सुरक्षा, संरक्षा और मानसिक शांति प्रदान करने के 11 वर्ष का जश्न

अब तक लगभग 95 करोड़ संयुक्त नामांकन के साथ असुरक्षितों को सुरक्षा कवच

भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज 2015 में 19% से बढ़कर 2025 में 64% हुआ – 45% की वृद्धि - आईएलओ

Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana

किफायती जीवन बीमा कवर
₹436 प्रति वर्ष के प्रीमियम पर ₹2 लाख का जीवन बीमा कवर

27+ करोड़ से अधिक नामांकन

Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana

दुर्घटना बीमा कवर
₹20 प्रति वर्ष के प्रीमियम पर ₹2 लाख का आकस्मिक मृत्यु एवं दिव्यांगता बीमा कवर

58+ करोड़ से अधिक नामांकन

Atal Pension Yojana

गारंटीड मासिक पेंशन
60 वर्ष की आयु के बाद ₹1,000-₹5,000 तक की सुनिश्चित पेंशन

9+ करोड़ से अधिक नामांकन

समावेशी पात्रता
18-50 वर्ष आयु के वे व्यक्ति जिनका बैंक या डाकघर में खाता है

आसान नामांकन एवं नवीनीकरण
बैंक/डाकघरों के माध्यम से सरल पंजीकरण तथा वार्षिक ऑटो-डेबिट सुविधा

समावेशी पात्रता
18-70 वर्ष आयु के वे व्यक्ति जिनका बैंक या डाकघर में खाता है

कम लागत एवं आसान नवीनीकरण
सिर्फ ₹20 वार्षिक प्रीमियम के साथ ऑटो-डेबिट नवीनीकरण सुविधा

समावेशी सामाजिक सुरक्षा योजना
18-40 वर्ष आयु के गैर-आयकरदाता बैंक खाताधारकों के लिए खुली

सुरक्षित बचत
सरकार समर्थित पेंशन आश्वासन के साथ लचीला अंशदान



“जन सुरक्षा योजनाओं के माध्यम से हम सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था की ओर बढ़ रहे हैं। हमारा लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि भारत में किसी भी गरीब व्यक्ति को संकट के समय अपने परिवार के भविष्य की चिंता न करनी पड़े।”

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी



हमें फॉलो करें |  |  financialservices.gov.in

CBC 15415113/0003/2627